वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट 2021-22

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY

विषय-वस्तु की तालिका

अध्याय - I

1. **एनएफआरए के बारे में** ***6***

1.1 प्रस्तावना ***6***

1.2 उद्भव और पृष्ठभूमि ***6***

1.3 अधिदेश और डोमेन ***7***

1.4 शक्तियां ***8***

1.5 एनएफआरए चार्टर ***9***

1.6 मूल मान्यताएं ***9***

1.7 संगठनात्मक संरचना ***10***

अध्याय - II

2. **मुख्य परिणाम और उपलब्धियां** ***12***

2.1 लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों का अनुवीक्षण और अनुपालन प्रवर्तन***12***

2.2 व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन ***14***

अध्याय - III

3. **प्रमुख हितधारकों के साथ संपर्क** ***22***

3.1 वित्तीय रिपोर्टिंग आपूर्ति श्रृंखला के सदस्य ***22***

3.2 एनएफआरए का मीडिया के साथ संबंध ***22***

3.3 शिकायत प्रबंधन और सूचना-प्रदाता (व्हिसल-ब्लोअर) के लिए सुविधा ***25***

अध्याय - IV

4. **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें** ***26***

4.1 डाटा प्रबंधन ***26***

4.2 साइबर सुरक्षा संबंधी पहलें ***27***

4.3 एनएफआरए द्वारा इसके प्रचालन प्रबंधन के लिए क्लाउड-आधारित आईटी उपकरण का शुभारंभ ***27***

अध्याय - V

5. **संसाधन प्रबंधन** ***29***

5.1 वित्त और बजटीय सूचना ***29***

5.2 मानव संसाधन प्रबंधन ***30***

राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष की कलम से

अपने हितधारकों के समक्ष एनएफआरए के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का सिंहावलोकन रखने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कोविड द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, एनएफआरए द्वारा लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षाएं संचालित करने और वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा रिपोर्ट जारी करने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जारी रखे गए हैं।

एनएफआरए ने हितधारकों के साथ अपने संपर्कों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए और एक परामर्श-पत्र जारी किया, जिसे सभी के द्वारा बहुत सराहा गया। मैं इस अवसर पर प्रतिक्रियादाताओं को उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्राप्त मूल्यवान सुझाओं को संज्ञान में लिया गया है, उदाहरण के लिए, हमने चालू वर्ष में स्थल निरीक्षणों पर बल दिया है। एनएफआरए ने कतिपय लेखांकन मानकों पर आईसीएआई से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करके और सिफारिशें प्रदान करके एक उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे की स्थापना में मदद करने के अपने लक्ष्य को भी जारी रखा। मई 2021 में, एनएफआरए ने उन लेखापरीक्षा फर्मों/लेखापरीक्षकों की पहली सूची प्रकाशित की, जिन्होंने एनएफआरए नियम 2018 के अंतर्गत दाखिल किए जाने वाले सांविधिक प्ररूप का अनुपालन नहीं किया था। एनएफआरए ने एनएफआरए के परिक्षेत्र में कंपनियों और लेखापरीक्षकों के संबंध में अपनी डाटा संबंधी अपेक्षाओं के लिए एमसीए के कॉर्पोरेट डाटा प्रबंधन केंद्र और विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य विनियामकों के साथ संपर्क स्थापित करने के अपने प्रयास जारी रखे। संगठन के भीतर सभी कार्यों का डिजिटलीकरण करने और समस्त कार्यों को कागजरहित बनाने के लिए एनएफआरए कोर एप्लिकेशन सिस्टम (एनसीएएस) नामक एक स्वचालित कार्यप्रवाह तैयार किया जा रहा है।

यह वर्ष भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि एनएफआरए में मानव संसाधन बढ़ाने की दिशा में कुछ बड़े कदम उठाए गए थे। सीधी भर्ती का एक नया बैच एनएफआरए में शामिल हुआ। क्षमता निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

सामयिक हित के विभिन्न मुद्दों पर अक्टूबर 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के भाग के रूप में आयोजित वेबिनार के माध्यम से आवश्यक संपर्क को भी बनाए रखा गया था। हमें एक प्रश्नोत्तरी के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसे जनता के लिए खोला गया था और एकेएएम के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इसने देश की आबादी के विविध वर्गों द्वारा प्रदर्शित एनएफआरए में रुचि के मूल्य को प्रदर्शित किया और हम आशा करते हैं कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम जनता द्वारा हम से की जाने वाली अपेक्षाओं को पूरा करते रहेंगे।

मुझे आशा है कि यह कार्यनिष्पादन रिपोर्ट वर्ष 2021-22 में एनएफआरए के समग्र कार्यकरण और क्रियाकलापों का विहंगावलोकन प्राप्त करने में हमारे हितधारकों के लिए उपयोगी साबित होगी।

मैं अपने पूर्ववर्ती श्री रंगाचारी श्रीधरन और श्री अशोक कुमार गुप्ता का उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान एनएफआरए का नेतृत्व करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने सभी हितधारकों को उनके सहयोग और योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि एनएफआरए निरंतर सुदृढ़ होते हुए आगे और विकसित होता रहेगा।

अजय भूषण पांडेय

(डा. अजय भूषण प्रसाद पाण्डेय)
अध्यक्ष, एनएफआरए

01
अध्याय

एनएफआरए के बारे में

1. एनएफआरए के बारे में

1.1. प्रस्तावना

1.1.1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अधीन एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लेखांकन और लेखापरीक्षा के उच्च गुणवत्ता मानकों को स्थापित करते हुए तथा कंपनियों और निगमित निकायों द्वारा निष्पादित लेखांकन कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए और लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों की लेखापरीक्षा करते हुए सार्वजनिक हित और निवेशकों, लेनदारों और कंपनियों या निकायों से जुड़े अन्य लोगों के हितों की रक्षा करना है।

1.2. उद्भव और पृष्ठभूमि

1.2.1. विभिन्न मंचों पर यह अनुभव किया गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अंतर्गत उपबंधित मौजूदा विनियामक तंत्र व्यवसाय के स्व-विनियमन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशेवरों के बीच आवश्यक अनुशासन और उत्तरदायित्व बनाए रखने में असमर्थ था। वित्त संबंधी स्थायी समिति - कंपनी विधेयक 2009 ने लेखापरीक्षकों की भूमिका पर चर्चा करते हुए एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा विनियामक की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा की। इसके अलावा, कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट, 2016 ने एनएफआरए की स्थापना से पूर्व इस व्यवसाय पर विद्यमान असंतोषजनक निगरानी पर प्रकाश डाला।

1.2.2. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस. सुकुमार बनाम सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में अपने 23 फरवरी, 2018 के निर्णय द्वारा अमेरिका में सरबेन्स-ऑक्सले अधिनियम, 2002 और डोड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2010 की तर्ज पर लेखापरीक्षकों के व्यवसाय की निगरानी के लिए समुचित विधान और तंत्र पर विचार करने के लिए भारत संघ को निर्देश जारी किया। तदनुसार, विशेषज्ञों की समिति (सीओई) का गठन किया गया था। सीओई ने अपनी सिफारिश में कहा कि एनएफआरए का निर्माण अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर किया गया है और उसने स्व-विनियामक मॉडल की विफलता पर प्रकाश डाला है।

1.2.3. अतः, स्व-नियामक संगठनों से एक स्वतंत्र विनियामक और निरीक्षण निकाय में विनियामक रूपांतरण की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप, संसद ने सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात और विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अधीन एनएफआरए की स्थापना के साथ एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का गठन किया।

1.3. अधिदेश और डोमेन

1.3.1. एनएफआरए का अधिदेश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 में निहित है। कंपनी अधिनियम,

2013 की धारा 132 की उप-धारा (2) के अनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण:

(क) यथास्थिति, कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके संपरीक्षकों द्वारा अंगीकृत की जाने संबंधी लेखांकन और संपरीक्षा नीतियों और मानकों को निश्चित और अधिकथित करने में केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगा;

(ख) लेखांकन और संपरीक्षा मानकों के अनुपालन को ऐसी रीति में मानीटर और प्रवृत्त करेगा, जो विहित की जाए;

(ग) ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से संबद्ध वृत्तियों की सेवाओं की क्वालिटी का निरीक्षण करेगा और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों और ऐसे अन्य संबंधित विषयों का, जो विहित किए जाएं, सुझाव देगा; और

(घ) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।

1.3.2. एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 4 का उप-नियम (1) उपबंध करता है कि प्राधिकरण उच्च गुणवत्ता के लेखांकन और लेखापरीक्षा मानक स्थापित करते हुए कंपनियों और कारपोरेट निकायों द्वारा किए गए लेखांकन कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए और लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी करते हुए नियम 3 के अधीन शासित कंपनियों और कारपोरेट निकायों के निवेशकों, लेनदारों और अन्य सहायकों के सार्वजनिक हित और अन्य हितों की रक्षा करेगा।

1.3.3. एनएफआरए नियम 2018 के नियम 3 के अनुसार, प्राधिकरण के पस धारा 132 की उप-धारा (2) के अधीन लेखापरीक्षा मानकों की निगरानी करने और उनका अनुपालन करने, सेवा की गुणवत्ता की देखरेख करने या ऐसी धारा की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित कंपनियों और कारपोरेट निकायों की श्रेणियों के लेखापरीक्षकों के लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षकों की जांच करने का अधिकार होगा, अर्थात :-

(क) ऐसी कंपनियां जिनकी प्रतिभूतियां भारत या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है;

(ख) ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक पांच सौ करोड़ रुपए से अन्यून की प्रदत्त पूंजी या एक हजार करोड़ रुपए से अन्यून के वार्षिक व्यापारावर्त या 500 करोड़ रुपए से अन्यून कुल वर्तमान ऋण, डिबेंचर और जमा वाली असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां;

(ग) बीमा कंपनियां, बैंककारी कंपनियां, विद्त की आपूर्ति करने वाली कंपनियां, तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष अधिनियम या इस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अनुसार किसी निगमित कारपोरेट निकाय द्वारा शासित कंपनियां;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा जनहित में प्राधिकरण को की गई सिफारिश से संबंधित किसी कारपोरेट निकाय या कंपनी का व्यक्ति या कारपोरेट निकाय की किसी श्रेणी या कंपनियां या एक से अधिक व्यक्ति; और

(ङ) भारत के बाहर निगमित या रजिस्ट्रीकृत कारपोरेट निकाय, जो खंड (क) से खंड (च) में यथासंदर्भित भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय की अनुषंगी या सहायक कंपनी हे, यदि ऐसी अनुषंगी या सहायक कंपनी की आय का मूल्य ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय की समेकित आय या समेकित निवल आय के 20 प्रतिशत से अधिक हो; खंड (क) से खंड (घ) में संदर्भित, जैसा भी मामला हो।

1.4. शक्तियां

1.4.1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (4) के अनुसार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को, -

(क) स्वप्रेरणा से या केंद्रीय सरकार द्वारा उसको किए गए किसी निर्देशा पर, निगमित निकायों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सदस्य या फर्म द्वारा किए गए वृत्तिक या अन्य कदाचार के मामलों में अन्वेषण करने की शक्ति होगी:

परंतु कोई अन्य संस्थान या निकाय कदाचार के ऐसे मामलों में, जहां राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने इस धारा के अधीन कोई अन्वेषण आरंभ किया है, किन्हीं कार्यवाहियों को आरंभ या जारी नहीं रखेगा;

(ख) वैसी ही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधीन किसी सिविल न्यायालय में, निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचरण करते समय निहित होती है, अर्थात्:-

(i) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ii) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(iii) किसी व्यक्ति की किन्हीं बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का किसी स्थान पर निरीक्षण करना;

(iv) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(ग) जहां वृत्तिक या अन्य कदाचार साबित हो जाता है, वहां-

(क) जुर्माना लगाना -

I. व्यष्टियों की दशा में कम से कम एक लाख रुपए की शास्ति, किंतु जो प्राप्त फीस के पांच गुना तक की हो सकेगी; और फर्मों की दशा में, कम से कम दस लाख रुपए की शास्ति, किंतु जो प्राप्त फीस के पांच गुना तक की हो सकेगी;

(ख) किसी सदस्य या फर्म को

i. किसी कंपनी या कारपोरेट निकाय के लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त होने या वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षा करने अथवा कार्यों तथा क्रियाकलापों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने से कम से कम छह माह की अवधि या दस वर्ष से अनधिक होने वाली उच्चतर अवधि के लिए;

ii. धारा 247 के अंतर्गत यथा उपबंधित किसी मूल्यांकन के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित कम से कम छह माह की अवधि या दस वर्ष से अनधिक होने वाली उच्चतर अवधि के लिए; विवर्जित किया जाएगा।

1.5. एनएफआरए चार्टर

1.5.1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का उद्देश्य भारत में सभी कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है।

1.5.2. कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को अनिवार्य रूप से विधिक और सांविधिक रूप से अधिसूचित लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन द्वारा मापा और मूल्यांकित किया जाएगा।

1.5.3. एनएफआरए सभी प्रकार की जनहित संस्थाओं (पीआईई) और समस्त श्रेणियों की लेखापरीक्षा फर्मों में कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग के निरंतर सुधार के लिए प्रयास करेगा।

1.5.4. एनएफआर का लक्ष्य एक ऐसा संगठन बनना है जो अपनी सत्यनिष्ठा, परिश्रम और सक्षमता के लिए पहचाना जाए।

1.5.5. एनएफआरए के लिए काम करने वाले व्यक्ति समझौता न करने वाले सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे, कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को बदलने की दृष्टि रखेंगे, और उच्च स्तर की पहल और अपने कार्य के प्रति सतत रुझान प्रदर्शित करेंगे।

1.6. मूल मान्यताएं

- विषयपरकता - सदस्यों या कर्मचारियों की ओर से कोई व्यक्तिपरक कार्रवाई नहीं, बिना किसी पूर्व-कल्पित निष्कर्ष के या किसी भी मामले को पूर्व-निर्णय किए बिना सभी तथ्यों/विचारों/रायों के लिए खुलापन ।
- सत्यनिष्ठा –सभी मामलों/व्यक्तियों/फर्मों में, बहु मानकों की समाप्ति, एकरूप/समान रखे गए सभी लोगों के साथ एक-समान व्यवहार।
- निष्पक्षता – बिना भय अथवा पक्षपात के इसके कृत्यों का निर्वहन।
- स्वतंत्रता – सभी हितधारकों से समान दूरी।
- उचितता – अनुचित बोझ अधिरोपित न करना, विशेष रूप से पश्च दृष्टि के लाभों के साथ।
- पारदर्शिता– समुचित और खुली प्रक्रियाएं।

चित्र-1 : एनएफआरए की मूल मान्यताएं

एनएफआरए का कार्यकरण हर समय व्यवसाय करने की सुगमता और गति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के प्रति सचेत होगा और सदैव ही समग्र जनहित द्वारा निर्देशित होगा, जिसमें इसके सभी कार्यों को इसके विधिक अधिदेश द्वारा और उसके भीतर कड़ाई से निष्पादित किया जाएगा।

1.7. संगठनात्मक संरचना

1.7.1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (नियुक्ति की रीति तथा अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2018 में उपबंध है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात्: -

- अध्यक्ष;
- तीन पूर्णकालिक सदस्य; और
- नौ अंशकालिक सदस्य।

1.7.2. धारा 132 की उप-धारा (3ख) उपबंध करती है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का एक **कार्यकारी निकाय** होगा जो प्राधिकरण के ऊपर पैरा 1.3.1 (ख)-(घ) में वर्णित किए गए कृत्यों के कुशल निर्वहन के लिए उस प्राधिकरण के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें समस्त अनुवीक्षण, निगरानी, निर्णय और प्रवर्तन कार्य शामिल होंगे। कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके लेखापरीक्षकों द्वारा अपनाए जाने के लिए केवल लेखांकन और लेखापरीक्षा नीतियों और मानकों के निर्माण और निर्धारण के बारे में केंद्र सरकार को सिफारिशें करने का उत्तरदायित्व पूर्ण प्राधिकरण को सौंपा गया है, जिसमें कार्यकारी निकाय और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे।

1.7.3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा 11 उपबंध करती है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो वह राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा उसके कृत्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक समझे तथा सचिव और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

1.7.4. एनएफआरए की वर्तमान स्वीकृत संख्या 69 है, जिसकी तुलना में 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 26 व्यक्ति कार्यरत थे।

1.7.5. श्री रंगाचारी श्रीधरन ने 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक अध्यक्ष, एनएफआरए का कार्यभार ग्रहण किया और श्री अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक एनएफआरए का अतिरिक्त प्रभार धारित किया। डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी ने रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य किया।

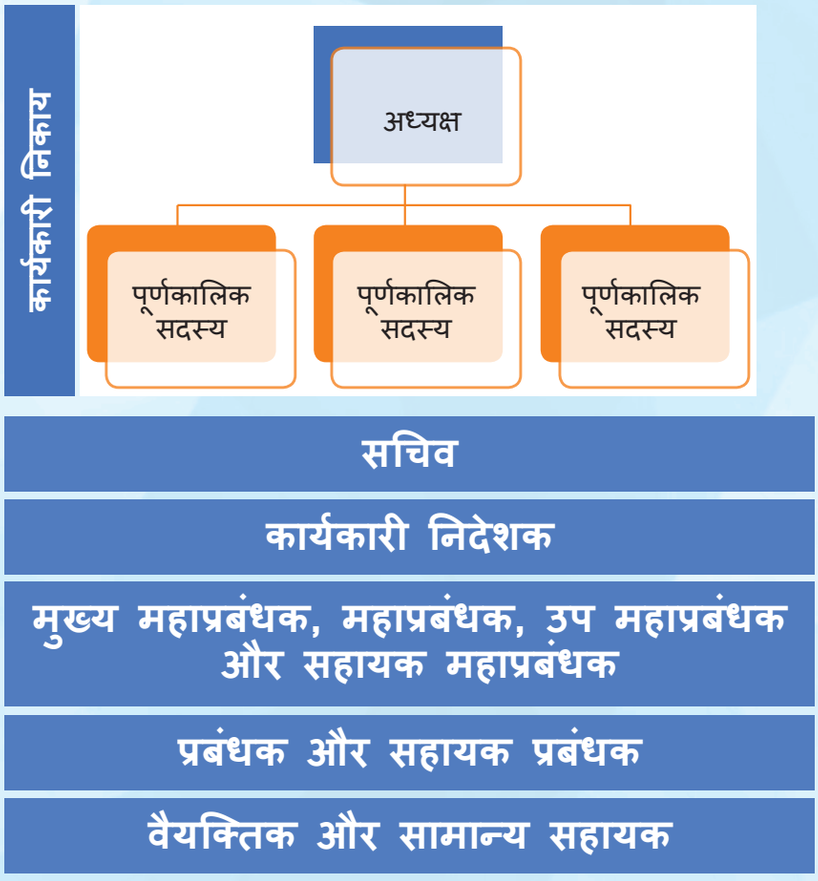

चित्र - 2 : संगठनात्मक संरचना

02
अध्याय

मुख्य परिणाम और उपलब्धियां

2. मुख्य परिणाम और उपलब्धियां

2.1. लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों का अनुवीक्षण और अनुपालन प्रवर्तन

एनएफआरए नियम 2018 निर्धारित करता है कि एनएफआरए सार्वजनिक हितों और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली कंपनियों या निकायों से जुड़े निवेशकों, लेनदारों और अन्य लोगों के हितों का संरक्षण कैसे करेगा। एनएफआरए नियम 2018 के नियम 7 से 9 विशेष रूप से प्राधिकरण से अपेक्षा करते हैं कि वह लेखांकन मानकों और लखापरीक्षा मानकों के अनुपालन का अनुवीक्षण करेगा और उन्हें प्रवर्तित कराएगा तथा लेखापरीक्षा सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करेगा। ये नियम उन प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे कार्यों को संचालित किया जाना है। एनएफआरए ने अब तक अपने अनुवीक्षण, निगरानी और प्रवर्तन कार्यों के निष्पादन में, लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्टों और वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षाओं को जारी किया है।

2.1.1. लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्टें (एक्यूआरआर)

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, दो वृहद कंपनियों के संबंध में एक्यूआर प्रकाशित की गईं:

2.1.1.1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की सांविधिक लेखापरीक्षा जो राजेंद्र के. गोयल एंड कंपनी द्वारा संचालित की गई (फर्म पंजीकरण संख्या आईसीएआई एफआरएन 001457एन) (एक्यूआर दिनांक 27.08.2021)

एक्यूआरआर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सारांश निम्नानुसार है।

- स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के "मत का आधार" खंड में लेखापरीक्षा फर्म की रिपोर्टिंग मिथ्या और भ्रामक थी। इस एक्यूआरआर में पहचाने गए अनुसार, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संव्यवहारों का प्रभाव ऐसा था कि 351.71 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ, जैसा कि वित्तीय विवरणों में बताया गया था, कम-से-कम 3,215.77 करोड़ रुपये की हानि में परिवर्तित हो जाएगा। यह प्रभाव तात्विक और व्यापक, दोनों था। इसके परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा फर्म लेखांकन के मानकों के तहत, एक प्रतिकूल राय (एसए 705 का पैरा 8) जारी करने के लिए बाध्य थी।
- लेखापरीक्षा फर्म ने उस प्रभाव को समझने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं किए जो जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के विरुद्ध दिवाला

याचिका ने कंपनी (जेएएल) पर डाला था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा फर्म ने यह समझने के लिए कोई लेखापरीक्षा प्रक्रिया संचालित नहीं की कि इस दिवाला याचिका में कंपनी (जेएएल) को एक पक्ष क्यों बनाया गया था। यह लेखापरीक्षा फर्म की ओर से घोर लापरवाही और पर्याप्त परिश्रम के अभाव को दर्शाता है। यह मानते हुए, लेकिन स्वीकार न करते हुए कि लेखापरीक्षा फर्म पर्याप्त सतर्कता बरतने के बाद एनसीएलटी इलाहाबाद और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जेआईएल की लंबित/चल रही सीआईआरपी/विधिक कार्यवाहियों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए सक्षम नहीं थी, लेखापरीक्षा फर्म को राय का अस्वीकरण जारी करना चाहिए था।

- मामले का महत्व (ईओएम) पैराग्राफों के व्यापक उपयोग द्वारा लेखापरीक्षा फर्म ने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रभावशीलता के साथ समझौता किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरणों में आठ ईओएम प्रदान किए थे। एसए 706 के पैरा ए3 में कहा गया है कि मामले के महत्व के पैराग्राफों का व्यापक उपयोग लेखापरीक्षक संचार की प्रभावशीलता को न्यून करता है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा फर्म इन ईओएम प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही जो कि एसए 706 के अनुसार आवश्यक थे।
- लेखापरीक्षा फर्म प्रबंधन द्वारा लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान आधार के उपयोग का उचित और पर्याप्त मूल्यांकन करने में विफल रही और इस प्रकार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उन पर पड़ने वाली विवक्षाओं को नोट करने में विफल रही।
- भौतिक गलतबयानी का जोखिम (आरओएमएम) का आकलन करने में, लेखापरीक्षा फर्म ने राजस्व मान्यता और नियंत्रण के प्रबंधन अधिवहन के संबंध में धोखाधड़ी के कारण आरओएमएम के अनुमान का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप अंततः इंड एएस और एसए के लागू प्रावधानों के अनेक उल्लंघन हुए।
- लेखापरीक्षा फर्म ने संस्था और उसके परिवेश को समझकर आरओएमएम की पहचान और मूल्यांकन नहीं किया था, जिसमें संस्था का आंतरिक नियंत्रण भी शामिल था। अभिकथन स्तर पर लेखापरीक्षा द्वारा कोई आरओएमएम प्रक्रिया निष्पादित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा फर्म पेशेवर संशयवाद के साथ लेखापरीक्षा करने में विफल रही थी और आरओएमएम को स्वीकार्य रूप से निम्न स्तर तक कम करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही है।
- जेएएल का अपनी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में 6,894.02 करोड़ रु. की राशि के वित्तीय निवेश का लागू लेखा मानकों के अनुसार का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा फर्म इन संस्थाओं में जेएएल के निवेश के सही मूल्यांकन पर पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही थी।
- बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियों के लिए कंपनी का लेखांकन व्यवहार

लेखांकन मानकों के अनुरूप नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में पर्याप्त मिथ्या कथन किया गया। लेखापरीक्षा फर्म भी इस संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही।

- लेखापरीक्षा फर्म ने स्वयं को अपने ईक्यूसीआर (एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू) पार्टनर के रूप में नियुक्त करके ईक्यूसीआर प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी, जिससे एसए के मूल उद्देश्य निष्फल हो गए थे।
- लेखापरीक्षा फर्म एसए 230 की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षा दस्तावेजों का अनुरक्षण करने में विफल रही थी। दस्तावेज की इस तरह की कमी से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के कारण लेखापरीक्षा फाइल की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता संदिग्ध है।

2.1.1.2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड (आईटीएनएल) की सांविधिक लेखापरीक्षा एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन): 324982ई/ई300003) (एक्यूआर दिनांक 23.09.2021) द्वारा संचालित की गई।

एक्यूआरआर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सारांश निम्नानुसार है।

- एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी की प्रारंभिक नियुक्ति, और आईटीएनएल के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी की निरंतरता, प्रथम दृष्टया अमान्य और शून्य थी। फिर भी, एनएफआरए ने इस निष्कर्ष के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बिना, इस नियुक्ति के उनके निष्पादन के लिए एसए के साथ लेखापरीक्षा फर्म द्वारा अनुपालन की जांच की कार्यवाही की है।
- लेखापरीक्षा फर्म प्रबंधन द्वारा लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान आधार के उपयोग का उचित और पर्याप्त मूल्यांकन करने में विफल रही और इस प्रकार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उन पर पड़ने वाली विवक्षाओं को नोट करने में विफल रही।
- तात्विक मिथ्या विवरण के जोखिमों (आरओएमएम) का आकलन करने में, लेखापरीक्षा फर्म ने धोखाधड़ी के कारण तात्विक मिथ्या विवरण के लिए वित्तीय विवरणों की संवेदनशीलता का आकलन नहीं किया, गंभीर संभावित जोखिमों के रूप में राजस्व मान्यता और नियंत्रण के प्रबंधन अधिरोहण की पहचान और मूल्यांकन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः लागू इंड एएस और एसए के अनेक उल्लंघन हुए, जैसा कि एक्यूआरआर में वर्णित किया गया है, और इस प्रकार वित्तीय विवरण गंभीर तात्विक मिथ्या विवरणों के अध्यधीन रहे हैं और इस कारण से वे अविश्वसनीय हैं।
- आईटीएनएल का अपनी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में 3,346 करोड़ रु. की राशि के वित्तीय निवेश का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था क्योंकि लेखापरीक्षा फर्म आईटीएनएल के निवेश और इन संस्थाओं को दिए गए ऋणों के मूल्यांकन को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही थी।

- 2017-18 के दौरान कंपनी के घाटे को एसपीवी को दिए गए ऋणों और व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) के अनुचित प्रतिलोमन और गलत हानि मूल्यांकन के कारण के कारण कम से कम 2021 करोड़ रु. कम करके बताया गया था। इसमें 2654 करोड़ रुपये की राशि के लैटर ऑफ कम्फर्ट्स के गलत निपटान के कारण हुआ प्रभाव शामिल नहीं है, जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय गारंटी के रूप में सही ढंग से निपटाया जाना चाहिए था, जिसकी लाभ/हानि पर प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं है। एनएफआरए ने आगे निष्कर्ष निकाला है कि ईसीएल उत्क्रमण के संबंध में प्रबंधन द्वारा अस्पष्ट और भ्रामक प्रकटीकरण द्वारा वित्तीय विवरणों में भौतिक जानकारी को अस्पष्ट बनाने का एक स्पष्ट प्रयास किया गया है।
- लेखापरीक्षा फर्म ने विशेषज्ञ की राय को अपनाते हुए प्रबंधन के विशेषज्ञ द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन नहीं किया था, और इस प्रकार कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2019 (सीएआरओ) खंड (iii) के अंतर्गत व्यक्त की गई लेखापरीक्षक की राय, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त उद्यमों और पूरी तरह से स्वामित्व न वाली अनुषंगी कंपनियों के लिए शून्य ब्याज दर पर 111.20 करोड़ रु. के कंपनी के ऋण के निबंधन और शर्तें. कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है, पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था और यह एसए 500 की अपेक्षाओं का उल्लंघन है।
- लेखापरीक्षा फर्म का ईक्यूसीआर (एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू) पार्टनर तात्विक मिथ्या विवरण की रिपोर्ट करने में विफल रहा था उसे ज्ञात जिसके संबंध में यह प्रतीत होता है कि वह उस वित्तीय विवरण में प्रकट हुआ था जो उसकी पेशेवर क्षमता से संबंधित है और उसने पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए एंगेजमेंट दल के महत्वपूर्ण निर्णय और उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष का निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए उचित परिश्रम नहीं किया है। ।
- लेखापरीक्षा फर्म ने टीसीडब्ल्यूजी (जिन पर शासन का आरोप है) में शामिल व्यक्तियों का निर्धारण नहीं किया था। इसके अलावा, एनएफआरए ने लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता, और फर्म, नेटवर्क फर्मों के बीच संबंधों और अन्य मामलों से संबंधित टीसीडब्ल्यूजी को भेजा कोई पत्र-व्यवहार नहीं पाया है।
- लेखापरीएक्षा फर्म एसए 230 के अनुसार दस्तावेजों का अनुरक्षण करने में विफल रही थी। एक्यूआरआर में कई स्थानों पर इंगित की गई छेड़छाड़ और विसंगति के कारण लेखापरीक्षा फाइल की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है।.

2.1.2. वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्टें (एफआरक्यूआरआर)

रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, दो एफआरक्यूआर प्रकाशित की गईं।

2.1.2.1. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केआईओसीएल लिमिटेड के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा (एफआरक्यूआर) रिपोर्ट (एफआरक्यूआरआर दिनांक 28.09.2021)

एनएफआरए की टिप्पणियों के संबंध में निष्कर्ष/सिफारिशों को 'उच्च' और 'मध्यम' प्रभाव में वर्गीकृत किया गया है। केआईओसीएल की ओर से लेखांकन मानकों के संबंध में कुछ मुख्य उच्च प्रभाव गैर-अनुपालन निम्नानुसार थे:

- विदेशी मुद्रा (एफएक्स) वायदा संविदाओं के लिए केआईओसीएल की लेखांकन नीति त्रुटिपूर्ण है और यह इंड एएस 109, वित्तीय लिखत (इंड एएस 109) की वर्गीकरण और मापन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।
- तात्विक अवयव अर्थात राजस्व (संबंधित आस्तियों जैसे व्यापार प्राप्य, माल-सूची आदि पर तदनुरूपी प्रभाव के साथ) के लिए लेखांकन नीति, जैसाकि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के इसके विवरण में बताया गया है, त्रुटिपूर्ण है। यह त्रुटिपूर्ण लेखांकन नीति कंपनी के वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और सटीकता पर सवाल उठाती है।
- केआईओसीएल द्वारा भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 36, ब्लास्ट फर्नेस यूनिट, जो प्रचालन में नहीं थी, के मामले में परिसंपत्तियों की क्षति (इंड एएस 36) के अनुप्रयोग के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य, जैसे मूल्यांकन रिपोर्टें, यदि कोई हो, उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। साथ ही, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाधात्मक हानि के परिकलन पर विचार किया गया/उसकी समीक्षा की गई/उसे कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल (बीओडी) को प्रस्तुत किया गया।
- वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण में कई अन्य त्रुटियां थीं। ये प्रकटीकरण या तो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक या उपयोगी नहीं थे तथा वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण जानकारी को अस्पष्ट करने की क्षमता रखते थे।
- एनएफआरए ने अनुसंशित किया था कि केआईओसीएल यह जांच करे कि क्या इंड एएस 8 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के अनुसार पुनर्कथित वित्तीय विवरण तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना आवश्यक है।
- केआईओसीएल ने अपनी की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट-अंतरिम, दिनांक 08.02.2022 द्वारा सूचित किया कि कंपनी को एफआरक्यूआरआर में की गई टिप्पणियों का अनुपालन करने और लागू इंड एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुपालन में और सुधार के लिए कंपनी का मार्गदर्शन करने के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी की नियुक्ति की गई थी। ।

2.1.2.2. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रभु स्टील्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट (एफआरक्यूआरआर) (एफआरक्यूआरआर दिनांक 14.02.2022)

कंपनी की ओर से लेखांकन मानकों के गैर-अनुपालन के संबंध में उच्च प्रभाव के रूप में वर्गीकृत कुछ मुख्य अवलोकन इस प्रकार हैं:

- पीएसआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करना आवश्यक था। तथापि, कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू लेखांकन ढांचे के मूलभूत पहलू के बारे में निदेशक की रिपोर्ट और वार्षिक खातों की टिप्पणियों में विरोधाभासी प्रकटीकरण प्रदान किए थे।
- इंड एएस ढांचे की तात्विक आवश्यकताओं का अनुपालन न करके और पहले से लागू लेखांकन ढांचे के अंतर्गत प्रकटीकरण प्रदान करके, कंपनी ने वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का उल्लंघन किया था।
- कंपनी वित्तीय विवरणों के एक घटक को प्रस्तुत करने में विफल रही, अर्थात् वित्तीय विवरणों में इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, जैसा कि सीए, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 40, इंड एएस 1 और सीए, 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित है।
- कंपनी वित्तीय लिखतों और उचित मूल्य मापन पर इंड एएस की प्रमुख अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रही थी अर्थात इंड एएस 109, इंड एएस 107, इंड एएस 32 और इंड एएस 113; यह अपनी वित्तीय आस्तियों अर्थात व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम और बैंक शेष की अपनी प्रमुख श्रेणी के लिए बाधात्मक हानि भत्ता का उचित मूल्यांकन करने में विफल रही; वित्तीय विवरणों में, वित्तीय साधनों के महत्व, वित्तीय साधनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम की प्रकृति और सीमा के संबंध में भारतीय लेखा मानक 107 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण का अभाव है।
- कंपनी लिए ऋणों के रूप में अपने उधारों और दिए गए ऋणों और अग्रिमों के रूप में परिसंपत्तियों के संबंध में उचित प्रकटीकरण करने में विफल रही जैसाकि सीए, 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित है।
- कंपनी अपने निष्क्रिय संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यह्रास प्रदान करने में भी विफल रही, इस प्रकार उसने इंड एएस 16 के अंतर्निहित सिद्धांत का उल्लंघन किया।
- वित्तीय विवरणों के पूरे सेट में व्याप्त त्रुटियों/लोपों को देखते हुए, पीएसआईएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 90 दिनों के भीतर पुनर्कथित वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

2.2. व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 की उप धारा 2(ख) वर्णित करती है कि एनएफआरए ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करेगा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक उपायों और ऐसे अन्य संबंधित मामलों का सुझाव देगा जो विहित किए जाएं।

2.2.1. गैर-अधिसूचित मानकों की समीक्षा

2.2.1.1. आईसीएआई लेखांकन के मानकों और लेखांकन उद्घोषणाओं की पुस्तिका

जुलाई 2021 के दौरान, एनएफआरए ने आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन और आश्वासन मानकों के पाठ की उच्च-स्तरीय समीक्षा की। इस समीक्षा ने लागू लेखा मानकों के ढांचे और कंपनी अधिनियम के सही संदर्भों का खुलासा किया था, जिससे पिछले दशक के दौरान किए गए महत्वपूर्ण सुधारों/परिवर्तनों को सही ढंग से प्रतिबिंबित किया गया था। आईसीएआई को परामर्श दिया गया था कि वह उपरोक्त मुद्दों पर ध्यान देने के लिए लेखांकन उद्घोषणाओं के पूरे सेट की समीक्षा करे और संशोधनों को एनएफआरए की समीक्षा के लिए प्रस्तुत करे तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत आवश्यक आगे की कार्रवाई के लिए और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को सिफारिश करे।

2.2.1.2. भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का पालन करने के लिए अपेक्षित कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार की कंपनियों (एमएसएमसी)के लिए लेखांकन मानकों का संशोधन

वर्ष के दौरान, एनएफआरए ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम 2006 के अंतर्गत अधिसूचित मौजूदा लेखांकन मानकों के संशोधन पर आईसीएआई के प्रस्तावों की समीक्षा की। ये लेखांकन मानक (एएस) मुख्य रूप से एमएसएमसी पर लागू होते हैं और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले इंड एएस के निकट लाने के लिए उन्नयित करने का प्रस्ताव किया गया था तथा ये बाद में विश्व स्तर पर स्वीकृत आईएफआरएस मानकों के अनुरूप काफी हद तक रूपांतरित हो गए हैं। इस संदर्भ में, एनएफआरए ने छह (6) लाख कंपनियों की प्रकृति और आकार पर प्रारंभिक शोध संचालित किया जिन पर एएस के ये संशोधित सेट अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

इस प्रारंभिक शोध के आधार पर, एनएफआरए ने आईसीएआई को निम्नलिखित कार्यवाहियों का परामर्श दिया :

- समसामयिक वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप एक व्यापक और मजबूत 'नियामक प्रभाव आकलन' करना; इन संशोधित एएस और उनकी तकनीकी संसाधन क्षमता के अनुपालन के लिए तैयार करने अनुपालनों की लागत पर व्यापक अध्ययन और अनुसंधान किया जाना चाहिए, जिसका मूल्यांकन एएस कंपनी सेगमेंट के सभी हितधारकों के संभावित लाभों के प्रति किया जाना चाहिए।

- प्राथमिक हितधारकों अर्थात तैयार करने वालों - एमएसएमसी और लेखापरीक्षकों - एमएसएमपी (सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसायी) के साथ व्यापक राष्ट्रव्यापी परामर्श के बाद दृष्टिकोण पत्र विकसित करे।
- निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए संशोधित एएस को व्यावसायिक आवश्यकताओं, व्यवसाय के आकार और एमएसएमसी की क्षमता के साथ संरेखित करे और उन्हें इन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक बनाए।

2.2.2. सिफारिश के लिए नए मानक

2.2.2.1. समीक्षित और अनुमोदित इंड एएस संशोधन प्रस्ताव

वर्ष के दौरान, एनएफआरए ने विश्व स्तर पर स्वीकृत आईएफआरएस मानकों के साथ उच्च गुणवत्ता के अभिसरण पर आईसीएआई प्रस्तावों की समीक्षा और सिफारिश करके उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे को सक्षम करने के अपने मिशन को जारी रखा। एनएफआरए ने आईसीएआई के दिनांक 28.04.2021, 09.08.2021 और 27.10.2021 के कुल तीन (3) प्रस्तावों की समीक्षा की और संबंधित आईएफआरएस मानकों में संशोधन के अनुसार संशोधनों को मंजूरी दी। इन इंड-एएस संशोधन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्राधिकरण बैठकें 20.05.2021, 20.09.2021 और 19.01.2022 को आयोजित की गईं। संशोधन मुख्य रूप से निम्नलिखित सात (7) इंड एएस और कुछ अन्य इंड एएस में परिणामी संशोधन से संबंधित हैं।

क्र सं	इंड एएस का शीर्षक	संशोधन शीर्षक	आईसीएआई की प्रस्ताव तारीख	एनएफआरए की बैठक तारीख	को एमसीए की सिफारिश तारीख	राजपत्र अधिसूचना की तारीख
1.	इंड एएस 116, पट्टे	संशोधन – कोविड-19 राहत	28.04.2021	20.05.2021	27.05.2021	18.06.2021
2.	इंड एएस 103, व्यापार संयोजन	नए अवधारणात्मक ढांचे का संदर्भ	09.08.2021	20.09.2021	30.09.2021	23.03.2022
3.	इंड एएस 101, इंड एएस को पहली बार अपनाना	वार्षिक सुधार (2021) - पहली बार अपनाने वाले के रूप में सहायक कंपनी	9.8.2021	20.09.2021	30.09.2021	23.03.2022
4.	इंड एएस 109, वित्तीय लिखत	वार्षिक सुधार (2021) - वित्तीय देनदारियों को विमान्य किए जाने के लिए के लिए '10 प्रतिशत' जांच हेतु शुल्क	9.8.2021	20.09.2021	30.09.2021	23.03.2022
5.	इंड एएस 41, कृषि	वार्षिक सुधार (2021) - उचित मूल्य मापन में कराधान	9.8.2021	20.09.2021	30.09.2021	23.03.2022

क्र सं	इंड एएस का शीर्षक	संशोधन शीर्षक	आईसीएआई की प्रस्ताव तारीख	एनएफआरए की बैठक तारीख	को एमसीए की सिफारिश तारीख	राजपत्र अधिसूचना की तारीख
6.	इंड एएस 37, प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां	दायित्वपूर्ण अनुबंध-एक अनुबंध को पूरा करने की लागत	27.10.2021	19.01.2022	08.02.2022	23.03.2022
7.	इंड एएस 16, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	इच्छित उपयोग से प्राप्तियां	27.10.2021	19.01.2022	08.02.2022	23.03.2022

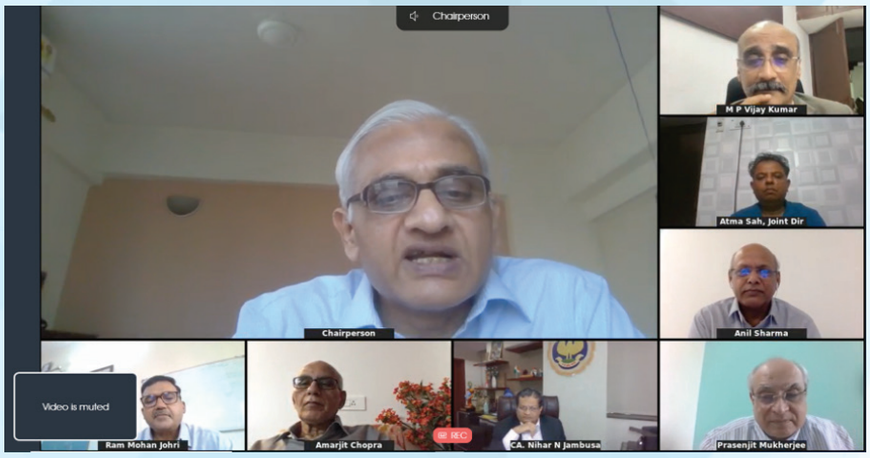

चित्र - 3 : प्राधिकरण की तारीख 20.05.2021 की बैठक

चित्र - 4 : प्राधिकरण की तारीख 20.09.2021 की बैठक

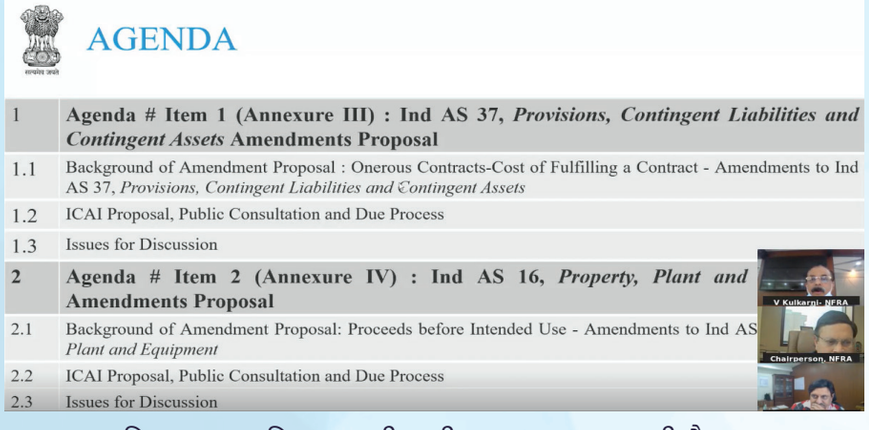
AGENDA

1	**Agenda # Item 1 (Annexure III) : Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* Amendments Proposal**
1.1	Background of Amendment Proposal : Onerous Contracts-Cost of Fulfilling a Contract - Amendments to Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*
1.2	ICAI Proposal, Public Consultation and Due Process
1.3	Issues for Discussion
2	**Agenda # Item 2 (Annexure IV) : Ind AS 16, *Property, Plant and* Amendments Proposal**
2.1	Background of Amendment Proposal: Proceeds before Intended Use - Amendments to Ind AS *Plant and Equipment*
2.2	ICAI Proposal, Public Consultation and Due Process
2.3	Issues for Discussion

चित्र - 5 : प्राधिकरण की तारीख 19.01.2022 की बैठक

2.2.2.2. समीक्षाधीन इंड एएस प्रस्ताव: एनएफआरए को बीमा संविदाओं पर एक नया इंड एएस जारी करने और निवेश संपत्तियों पर इंड एएस में संशोधन करने से संबंधित निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

2.2.2.2.1 बीमा संविदाओं पर नया मानक अर्थात इंड एएस 17, बीमा संविदाएं: यह एक नया इंड एएस है जो मौजूदा इंड एएस को प्रतिस्थापित करेगा जो बीमा संविदाओं के लेखांकन के लिए लागू है। इंड एएस 117 आईएफआरएस 17 पर आधारित है, जो कि पहला व्यापक और सही अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय आईएफआरएस मानक है जिसने किसी कंपनी द्वारा जारी की गई बीमा संविदाओं के लिए लेखांकन स्थापित किया है। इंड एएस 117 बीमा संविदाओं के लेखांकन और वर्तमान में रिपोर्ट किए जाने रीति में प्रतिमान बदलाव का परिचय देता है। यह बीमा संविदाओं के लेखांकन और रिपोर्टिंग के दृष्टिकोण और सिद्धांतों का एक पूर्ण रूपांतरण है। इसलिए, एनएफआरए ने इस इंड एएस के महत्वपूर्ण हितधारकों तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए थे।

- भारतीय बीमांकिकी संस्थान द्वारा 7 और 8 जुलाई 2021 को दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।
- एनएफआरए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ चर्चा कर रहा है और उनसे इस नए मानक के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है क्योंकि इस नए मानक से भारत में बीमा कंपनियों के लेखांकन, रिपोर्टिंग और परिचालन पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

2.2.2.2.2 इंड एएस 40, निवेश संपत्ति में संशोधन: इंड एएस 40, निवेश संपत्ति में संशोधन करने का एक प्रस्ताव है, जिसमें निवेश संपत्ति को उचित मूल्य पर मापने और परिणामी उचित मूल्य लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचानने का विकल्प है। एनएफआरए इस उचित मूल्य विकल्प को शामिल नहीं करने के कारणों और चिंताओं का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है, जबकि अब इन उचित मूल्य विकल्प के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए 2015 के दौरान इस इंड एएस की प्रारंभिक अधिसूचना को पर्याप्त रूप से संशोधित किया गया है।

03 अध्याय

प्रमुख हितधारकों के साथ संपर्क

3 प्रमुख हितधारकों के साथ संपर्क

प्राथमिक हितधारकों में संसद, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, वित्तीय विवरण तैयारकर्ता, लेखापरीक्षक, वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता, शिक्षाविद और आईसीएआई शामिल हैं। अन्य प्रमुख हितधारकों में सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ-साथ ऐसे संगठन और व्यक्ति शामिल हैं जो लेखांकन और लेखापरीक्षा गुणवत्ता के विषयों में विशिष्ट रुचि रखते हैं जैसे एसएफआईओ, सेबी, आरबीआई, आदि और मीडिया ।

3.1 वित्तीय रिपोर्टिंग आपूर्ति श्रृंखला के सदस्य

लेखापरीक्षक वित्तीय रिपोर्टों में प्रस्तुत जानकारी को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। तैयारकर्ता वित्तीय रिपोर्ट तैयार करते हैं और वे उनमें निहित जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। उपयोगकर्ता वित्तीय रिपोर्टिंग की विद्यमानता का सर्वाधिक कारक हैं और इसलिए, वे इसके प्रयोजन के लिए केंद्र-बिंदु हैं। शिक्षाविद अपने शिक्षण और शोध में वित्तीय रिपोर्ट का उपयोग करते हैं। लेखापरीक्षकों, तैयारकर्ताओं, उपयोगकर्ताओं और शिक्षाविदों की लेखांकन और लेखापरीक्षा नियमों के विकास तथा उनकी प्रभावी निगरानी और उनके प्रवर्तन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

इन सदस्यों को एनएफआरए के कार्यकरण में महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में स्वीकार करते हुए, एनएफआरए ने हितधारकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने पर परामर्श-पत्र जारी किया और इस कवायद के लिए सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित कीं।.

3.2 एनएफआरए का मीडिया के साथ संबंध

एनएफआरए ने संचार नीति स्थापित की है जो बाहरी हितधारकों के साथ हमारे पारस्परिक संपर्क का मार्गदर्शन करती है। एनएफआरए अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए अपने संदेश संप्रेषित करने के लिए कई प्रकार की कार्रवाइयां करता है, जैसे:

3.2.1 भाषण और साक्षात्कार

वित्तीय रिपोर्टिंग और शासन ढांचे पर आयोजित सीआईआई सम्मेलन में श्री आर. श्रीधरन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा 16 सितंबर-2021 को भाषण दिया गया।

3.2.2 प्रेस ब्रीफ

अनुशासनात्मक आदेशों, एक्यूआरआर, एफआरक्यूआरआर आदि से संबंधित विषय-वस्तु का उल्लेख करने के लिए प्रेस ब्रीफ भी जारी किए जाते हैं।

3.3 भारतीय कार्पोरेट विधि सेवा अकादमी, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (आईसीएलएसए) के साथ संपर्क

जनवरी 2022 के दौरान, भारत सरकार की भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा के 10वें बैच के अधिकारियों के लिए एक व्यापक पांच (5) दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य आईसीएलएस में शामिल हुए नए अधिकारियों को एनएफआरए की भूमिका, उत्तरदायित्वों और कार्यकरण के बारे में समग्र जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना में निम्नलिखित प्रमुख पहलू शामिल थे:

- एनएफआरए का सांविधिक अधिदेश, उसकी स्थापना का उद्देश्य और लक्ष्य।
- स्वतंत्र लेखापरीक्षा और लेखांकन विनियामकों का 21वीं शताब्दी का युग- वैश्विक परिप्रेक्ष्य: स्वतंत्र लेखापरीक्षा विनियामकों का अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफआईएआर), यू.एस., यूके, ऑस्ट्रेलिया में एनएफआरए पीयर ग्रुप।
- कॉर्पोरेट प्रशासन में एनएफआरए की भूमिका
- समीक्षा की नीति और प्रक्रिया तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों की सिफारिश
- कंपनियों और लेखापरीक्षकों का एनएफआरए डाटाबेस
- लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए तकनीक और उपकरण - लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट
- लेखांकन मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए तकनीक और उपकरण - वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट
- लागू मानकों के अनुपालन के लिए प्रवर्तन और अनुशासनात्मक तंत्र

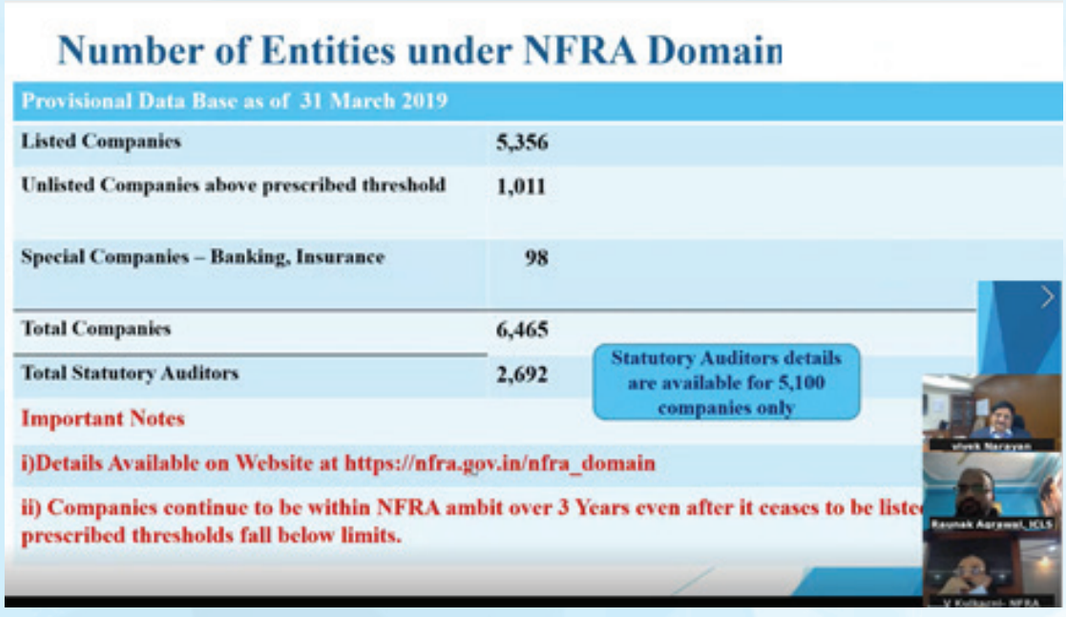

चित्र - 6 : एनएफआरए में 20.01.2022 को आईसीएलएस प्रशिक्षण

3.4 जागरूकता सृजन और संपर्क स्थापित करने के लिए वेबिनार, समारोह और प्रश्नोत्तरी

3.4.1 आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के अवसर पर वेबिनार – अक्तूबर 2021

एनएफआरए ने 24 से 31 अक्तूबर 2021 के सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय एकता दिवस के राष्ट्रव्यापी उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस सप्ताह के दौरान, एनएफआरए ने 26 और 27 अक्तूबर 2021 को निम्नलिखित वेबिनार आयोजित किए:

(क) डॉ. आर नारायणस्वामी, अध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार समिति, एनएफआरए द्वारा ऑडिट फर्मों की संस्कृति को सुदृढ़ बनाना

(ख) सीए विद्याधर कुलकर्णी, वरिष्ठ सलाहकार, एनएफआरए द्वारा 21 वीं सदी - स्वतंत्र लेखांकन और लेखापरीक्षा नियामक का युग

(ग) एडवोकेट श्री सुहास तुलजापुरकर, सदस्य, तकनीकी सलाहकार समिति, एनएफआरए द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व

(घ) सीए सुश्री विद्या राजाराव, सदस्य, तकनीकी सलाहकार समिति, एनएफआरए द्वारा वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा में धोखाधड़ी

चित्र - 7 : एकेएएम के भाग के रूप में आयोजित वेबिनार का ब्यौरा

3.4.2 भारत में लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों पर राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी - 24.12.2021 से 26.01.2022

देश के नागरिकों के मध्य लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों के बारे में समझ और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एनएफआरए ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के स्मरणोत्सव 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में 'भारत में लेखापरीक्षा और लेखांकन मानक' विषय पर एक राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया। यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

भारत सरकार के MyGov पोर्टल के माध्यम से आयोजित की गई थी जिसमें एनएफआरए को पूरे देश से 27,299 लोगों की भागीदारी के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। यह प्रश्नोत्तरी भारत में वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के अपने प्राथमिक उद्देश्य के बारे में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए एनएफआरए की पहल का एक भाग भी थी।

3.5 हितधारक परामर्श पत्र

3.5.1 तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट हितधारकों के साथ संबंधों में संवृद्धि करने के लिए एनएफआरए परामर्श-पत्र (मार्च2021).

जून 2021 में, एनएफआरए ने एक परामर्श पत्र ("सीपी") जारी किया था, जिसमें हितधारकों के साथ एनएफआरए के संबंधों में संवृद्धि करने के लिए उसकी तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की सिफारिशों पर उसके द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित किया गया था। टीएसी का गठन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं, तैयारकर्ताओं और लेखापरीक्षकों के दृष्टिकोण से एनएफआरए को टिप्पणियां प्रदान करने; और लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त तरीकों पर सलाह देने के उद्देश्य के लिए किया गया था। टीएसी ने मार्च 2021 में "हितधारकों के साथ संबंधों में संवृद्धि करने" पर अपनी पहली रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत कीं, और सिफारिशों के प्रमुख क्षेत्रों में हितधारकों के निरीक्षण, एनएफआरए की विनियामक क्षमता, स्वतंत्रता, वित्त-पोषण और एनएफआरए की जवाबदेही के प्रति एनएफआरए का दृष्टिकोण शामिल थे। इसके विवरणों का अवलोकन http://nfra.gov.in/consultation_papers पर किया जा सकता है।

3.5.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों (एमएसएमसी) के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा और लेखांकन मानकों पर परामर्श-पत्र

सितंबर 2021 में, एनएफआरए ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार की कंपनियों (एमएसएमसी) की अनिवार्य लेखापरीक्षा से संबंधित मुद्दों पर जनता की राय जानने के लिए एक परामर्श-पत्र जारी किया था। इसके विवरणों का अवलोकन http://nfra.gov.in/consultation_papers पर किया जा सकता है।

3.6 शिकायत प्रबंधन और सूचना-प्रदाता के लिए सुविधा

एनएफआरए ने एनएफआरए में शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा शिकायतों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए https://nfracoms.nic.in/ के नाम से एक अलग समर्पित प्लेटफॉर्म तैयार किया है। सूचना प्रदाता की उस शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए विशेष प्रक्रिया भी तैयार की गई है जहां शिकायतकर्ता अपना नाम और संपर्क विवरण गोपनीय रखने का अनुरोध करता है।

04 अध्याय

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

4 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

4.1 डाटा प्रबंधन

4.1.1 कंपनियों का डाटाबेस

एनएफआरए नियम 2018 का नियम 3, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों की निगरानी और उनका सुनिश्चित करने, ऐसे मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने से जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करने से संबंधित एनएफआरए के कार्यों और कर्तव्यों के दायरे में कंपनियों और उनके लेखापरीक्षकों के वर्गों को निर्धारित करता है। प्राधिकरण के कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए, महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं में से एक प्राधिकरण की व्याप्ति में आने वाली कंपनियों और उनके लेखापरीक्षकों के एक व्यापक मास्टर डाटाबेस को संकलित और स्थापित करना है। इस अभ्यास में महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना और विभिन्न स्रोतों से डाटा का मिलान करना शामिल है।

इसमें शामिल महत्वपूर्ण कदम प्राथमिक डाटा स्रोत की पहचान करना तथा सत्यापन और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डाटा (जैसे कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) जो सतत् परिवर्तनशील है) का मिलान करना है। इस संबंध में, एनएफआरए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के कॉर्पोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) डिवीजन, भारत में तीन मान्यता प्राप्त और सक्रिय स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य विनियामकों जैसे आरबीआई, आईआरडीएआई और केंद्रीय विदयुत प्राधिकरण के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

एनएफआरए नियमों के अंतर्गत आने वाली कंपनियों/सीडीएम से उनके लेखापरीक्षकों के डाटा बेस के संकलन तथा अन्य बाहरी डाटा स्रोतों के साथ इसके समामेलन का यह व्यापक अभ्यास पहली बार 31.03.2019 को आरंभ किया गया था और अब इसे वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। एनएफआरए ने 7 मई 2021 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के विनियामक अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के लिए अनंतिम डाटाबेस प्रकाशित किया।

क्रम .सं	श्रेणी निर्दिष्ट की कंपनियों	संख्या की कंपनियों		
		31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019
1.	कंपनियां सूचीबद्ध	5,563	5,522	5,356
2.	होने वाली असूचीबद्ध ऊपर से मानकों वित्तीय निर्धारित कंपनियां सार्वजनिक	1,156	1,053	1,011
3.	विशिष्ट गतिविधियों (बीमा, बैंकिंग, बिजली आदि) में लगी और विशेष अधिनियमों द्वारा शासित कंपनियां	101	170	98
5	वर्ष अग्रेनीत तीन	322	322	-
	कुल	7,142	7,037	6,465

4.1.2 वार्षिक विवरणी दाखिल करने की निगरानी – एनएफआरए 2

एनएफआरए नियम 2018 का नियम 4(2) अपेक्षा करता है कि प्राधिकरण द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, एनएफआरए नियम 2018 के नियम 3 में निर्दिष्ट कंपनियों और निकायों कॉर्पोरेट में नियुक्त लेखापरीक्षकों के विवरण अनुरक्षित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, पूर्वोक्त नियमों के नियम 5 में नियम 3 के अधीन निर्धारित कंपनियों के प्रत्येक लेखापरीक्षक से अपेक्षा की गई है कि वह केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक वार्षिक विवरणी दाखिल करे। तदनुसार, केंद्र सरकार ने 'फॉर्म एनएफआरए 2' में वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाना निर्दिष्ट किया है जिसमें लेखापरीक्षकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं।

फॉर्म एनएफआरए 2 में दाखिल करने किए जाने लिए अपेक्षित विवरण लेखापरीक्षित कंपनियों के विवरण, प्राप्त हुए लेखापरीक्षा शुल्क और गैर-लेखापरीक्षा शुल्क, लेखापरीक्षा फर्म के भागीदारों और कर्मचारियों के विवरण, किसी भी लेखापरीक्षा फर्म नेटवर्क की संबद्धता या सदस्यता, अनुशासनात्मक विवरण से संबंधित हैं। लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा फर्म की गुणवत्ता नियंत्रण नीतियों के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाहियों के विवरणों से संबंधित हैं।

एनएफआरए, अपने पहले वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात 31.03.2019 तक कंपनियों के अपने डाटाबेस के आधार पर, पहली रिपोर्टिंग अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019 (2018-19) के लिए लेखापरीक्षकों द्वारा फॉर्म एनएफआरए 2 दाखिल करने के कार्य की निगरानी शुरू कर दी है। एनएफआरए ने 1,500 लेखापरीक्षा फर्मों को उनके द्वारा फॉर्म न भरे जाने के लिए सूचना भेजी थी और आईसीएआई को अपने सदस्यों के मध्य इस सांविधिक अनुपालन के बारे में जागरूकता पैदा करने की सलाह दी थी।

4.2 साइबर सुरक्षा संबंधी पहलें

वर्ष के दौरान एनएफआरए ने सुरक्षा जांच में संवृद्धि करने के लिए अनेक पहलें भी संचालित कीं जैसे:

4.2.1 प्रगत सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित एनआईसी सर्वर पर लेखापरीक्षकों और तैयारकर्ताओं की ओर से डाटा का स्थानांतरण। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सुरक्षित पोर्ट नंबर 22 पर एफ़टीपी से एसएफटीपी में स्थानांतरित हो गया था।

4.2.2 एनएफआरए के वेब टूल्स की तृतीय पक्ष सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा की गई।

4.2.3 एप्लीकेशनों को सुरक्षित एसएसएल प्रोटोकॉल में स्थानांतरित कर दिया गया।

4.2.4 स्पैम और पासवर्ड डिक्रिप्शन से बचाने के लिए वेबसाइट पर सभी प्रकार के सबमिशन के लिए कैप्चा अनिवार्य कर दिया गया था।

4.3 एनएफआरए द्वारा इसके प्रचालन प्रबंधन के लिए क्लाउड-आधारित आईटी उपकरण का शुभारंभ

एनएफआरए कोर एप्लीकेश्न सिस्टम (एनसीएएस) को संगठन के भीतर कागजविहीन कार्यकरण और कार्यप्रवाह के लिए विकसित किया जा रहा है। एनसीएएस को बड़ी मात्रा में दस्तावेजों के संग्रह, संचालन और प्रसंस्करण, गुणवत्ता समीक्षा, जांच और प्रवर्तन क्रियाकलापों के प्रबंधन को एक छोर से दूसरे छोर तक सक्षम करने के लिए तैयार किया गया है।

चूंकि संपूर्ण अवसंरचना को क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया गया है और उपयोगकर्ता की पहुंच को अत्यधिक सुरक्षित वेब इंटरफेस के माध्यम से सक्षम बनाया गया है, इसलिए एनसीएएस एनएफआरए के कर्मचारियों

को बिना किसी बाधा के दूरस्थ स्थान से भी कार्य करने में मदद करेगा। एनसीएसएस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सभी आवश्यक दस्तावेजों और कार्यस्थानों को एप्लिकेशन के भीतर बनाया/भंडारित/सक्षम किया गया, ताकि कर्मचारी परिवर्तन और हार्डवेयर से जुड़ी समस्याएँ संगठन के सुचारू कामकाज को प्रभावित न कर सकें।

एनसीएएस को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया जा रहा है।.

वर्ष 2021-22 के दौरान, एनएफआरए ने एनसीएएस के विभिन्न मॉड्यूलों का कार्यन्वयन आरंभ किया जैसे पुस्तकालय, एनएफआरए फॉर्म, शिकायत पावती और लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा। वित्तीय रिपोर्टिंग गुणवत्ता समीक्षा, अनुशासनात्मक कार्रवाई और शिकायत प्रसंस्करण जैसे कुछ अन्य मॉड्यूल कार्यान्वयन के अधीन हैं।

चित्र - 8 : 24.09.2021 को एनएफआरए कोर एप्लीकेशन सिस्टम (एनसीएएस) का शुभारंभ

मॉड्यूल में बाहरी एजेंसियों के अन्य डाटाबेस जैसे स्टॉक एक्सचेंज और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के कॉर्पोरेट डाटा प्रबंधन के साथ एप्लिकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस के माध्यम से जुड़ने की क्षमता भी विद्यमान है।

05
अध्याय

संसाधन प्रबंधन

5 संसाधन प्रबंधन

5.1 वित्त और बजटीय सूचना

(रुपए में)

कोड	विवरण	बजट आवंटन (ब.अ.)	संशोधित अनुमान
06	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनआरएफए) (उप लघु)	267124000	238648127
60001	वेतन (वस्तु शीर्ष)	50640000	39940400
60002	मजदूरी (वस्तु शीर्ष)	5635000	4892325
60003	समयोपरि भत्ता (वस्तु शीर्ष)	75000	0
60006	चिकित्सा उपचार (वस्तु शीर्ष)	1975000	1442305
60011	घरेलू यात्रा व्यय (वस्तु शीर्ष)	431000	239685
60012	विदेश यात्रा व्यय (वस्तु शीर्ष)	4000000	0
60013	कार्यालय व्यय (वस्तु शीर्ष)	4100000	3261515
60014	किराया, दरें और कर (वस्तु शीर्ष)	157222000	157221786
60016	प्रकाशन (वस्तु शीर्ष)	200000	0
60020	अन्य प्रशासनिक व्यय (वस्तु शीर्ष)	1000000	99063
60026	विज्ञापन और प्रचार (वस्तु शीर्ष)	600000	0
60028	पेशेवर सेवाएं (वस्तु शीर्ष)	16246000	15930568
60032	अंशदान (वस्तु शीर्ष)	2000000	0
69913	सूचना प्रौद्योगिकी - कार्यालय व्यय (वस्तु शीर्ष)	23000000	15620480
	कुल	**267124000**	**238648127**

*एनएफआरए के आहरण और संवितरण कार्य को इस अवधि के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय के माध्यम से किया गया था और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा संचालित की गई थी।

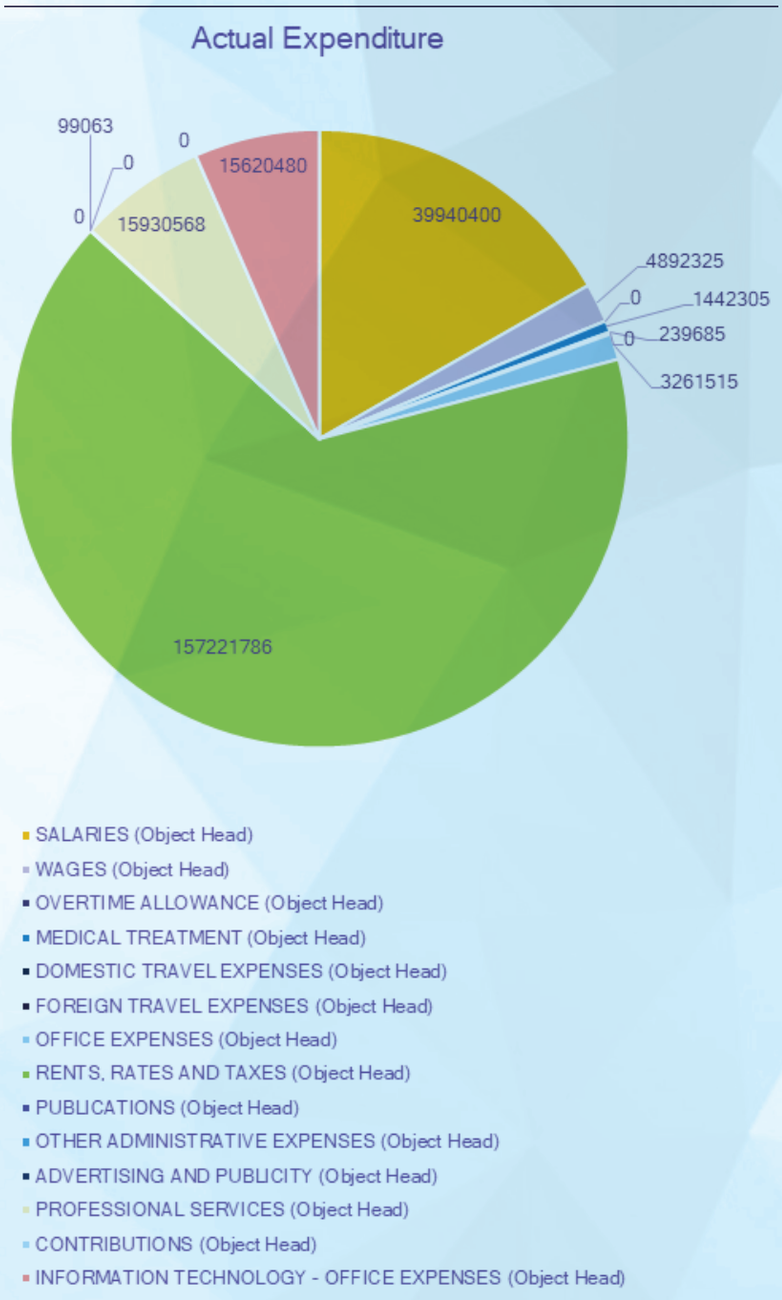

5.2 मानव संसाधन प्रबंधन

समग्र अधिदेश एक ऐसा कार्य परिवेश तैयार करना है जो प्रशिक्षण, करियर विकास और कार्यनिष्पादन प्रबंधन के क्षेत्र में उपयुक्त नीतियों के माध्यम से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताओं की निरंतर पहचान कर सके, उन्हें संपोषित कर सके और उनका उपयोग कर सके।

विभिन्न अनुमोदित संस्थागत योजनाओं के अंतर्गत एनएफआरए के कर्मचारियों के लिए आवास, चिकित्सा, आदि जैसे मौजूदा कल्याणकारी उपायों का विस्तार किया गया है।

5.2.1 मानवशक्ति

एनएफआरए की संस्वीकृत कर्मचारी संख्या 31.03.2022 को 69 थी। तथापि, अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 31.03.2022 को 26 थी।

5.2.2 भर्ती

संगठनात्मक लक्ष्यों और परिणामी उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए प्रभावी ढंग से और कुशलता से योगदान करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की योग्यता संबंधी अपेकक्षाओं को पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक कड़ी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाती है कि गुणवत्तापूर्ण कर्मियों को प्रणाली में शामिल किया जाए और कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर मानव संसाधनों के निरंतर विकास को अधिक महत्व प्रदान किया जाए।

एनएफआरए ने 04.01.2022 को 7 प्रबंधकों और 7 सहायक प्रबंधक की सीधी भर्ती का परिणाम जारी किया और इनके प्रस्ताव पत्र 20.01.2022 को जारी किए गए।

5.2.3 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

"बौद्धिक विकास जन्म के समय शुरू होना चाहिए और केवल मृत्यु पर ही समाप्त होना चाहिए।"

- एल्बर्ट आइंस्टाइन

आज की गतिशील दुनिया में, किसी भी संगठन के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। तकनीकी विकास के साथ तालमेल बनाए रखने और अपने हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यह महत्वपूर्ण हो गया है। उपयुक्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि मानव संसाधन चरम कार्यनिष्पादन स्तरों पर काम कर रहा है। यह कर्मचारियों को रचनात्मक, निर्माणात्मक, कल्पनाशील, नवोन्मेषी, पेशेवर और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाता है।

5.2.3.1 उद्देश्य

- हमारे कर्मचारियों और संगठन के बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक पेशेवर ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को अद्यतन बनाए रखना और उसमें वृद्धि करना।
- पेशेवर आवश्यकताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देना और पेशेवर, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाना।
- उचित अभिरुचि संबंधी अभिमुखीकरण लाना।

5.2.3.2 वर्ष 2021-2022 के दौरान प्रशिक्षण क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताएं

5.2.3.2.1 इंड एएस से संबंधित वित्तीय लिखतों पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण – मई से जून 2021

वित्तीय लिखतों से संबंधित इंड एएस, इंड एएस ढांचे का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। इंड एएस फ्रेमवर्क में वित्तीय साधनों के लेखांकन पहलू बहुत व्यापक लेकिन जटिल हैं और इनके लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तदनुसार, निम्नलिखित इंड एएस को शामिल करते हुए एक व्यापक प्रशिक्षण योजना तैयार की गई थी, और तकनीकी सत्र मई से जुलाई 2021 के दौरान आयोजित किए गए थे।

- इंड एएस 32, *वित्तीय लिखत: प्रस्तुतीकरण*
- इंड एएस 109, *वित्तीय लिखत*

- इंड एएस 107, *वित्तीय लिखत: प्रकटीकरण*
- इंड एएस 113, *उचित मूल्य मापन*

5.2.3.2.2 इंड एएस 117 (आईएफआरएस 17) बीमांकक संस्थान द्वारा प्रशिक्षण

इंड एएस 104, बीमा संविदाओं के लेखांकन के लिए वर्तमान मानक को एक नए व्यापक और मजबूत मानक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे इंड एएस 117, बीमा संविदाएं कहा जाएगा, जो इसके इसके अंतरराष्ट्रीय समकक्ष अर्थात आईएफआरएस 17 पर आधारित है जिसे आईएफआरएस फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यह नया मानक बीमा संविदाओं की मान्यता, मापन, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक रूपांतरण लाता है और इसमे 6 बीमांकिक मूल्यांकन और प्रथाओं के बारे में व्यापक ज्ञान और विशेषज्ञता की अपेक्षा की गई है। इसलिए, 7 और 8 जुलाई 2021 को दो तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें बीमांकिकी संस्थान के विषय विशेषज्ञों ने एनएफआरए के कर्मचारियों और अधिकारियों के समक्ष इंड एएस 117 के प्रमुख तकनीकी पहलुओं को प्रस्तुत किया।

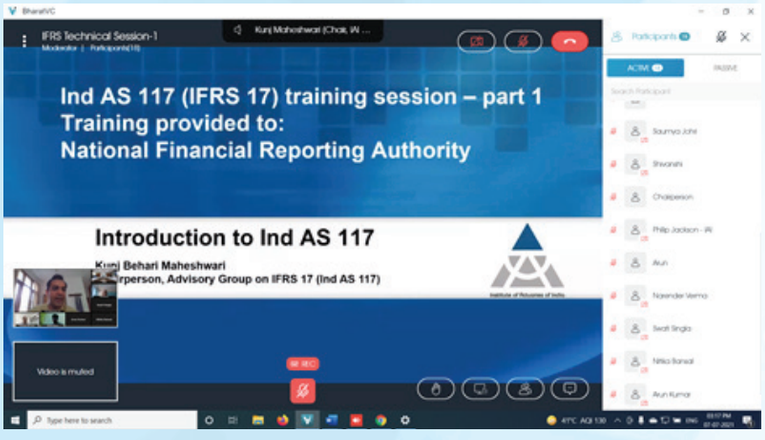

चित्र - 9 : बीमांकक संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा एनएफआरए में प्रदान किया गया प्रशिक्षण सत्र

5.2.3.2.3 सीडीएम प्रशिक्षण

एमसीए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार की कॉर्पोरेट डाटा प्रबंधन अवसंरचना को एनएफआरए की परिचालन गतिविधियों के लिए डाटा और सूचना के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पहचाना गया है, जो एनएफआरए की निगरानी और पर्यवेक्षी कार्यों के दायरे में आने वाली कंपनियों और लेखापरीक्षकों के प्राथमिक डाटाबेस की स्थापना से आरंभ होता है। सीडीएम की कार्यप्रणाली और उपयोगिताओं में अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, एनएफआरए के अधिकारियों और एमसीए, भारत सरकार के सांख्यिकीय प्रभाग के बीच 30.06.2021 को परस्पर संपर्क प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था।

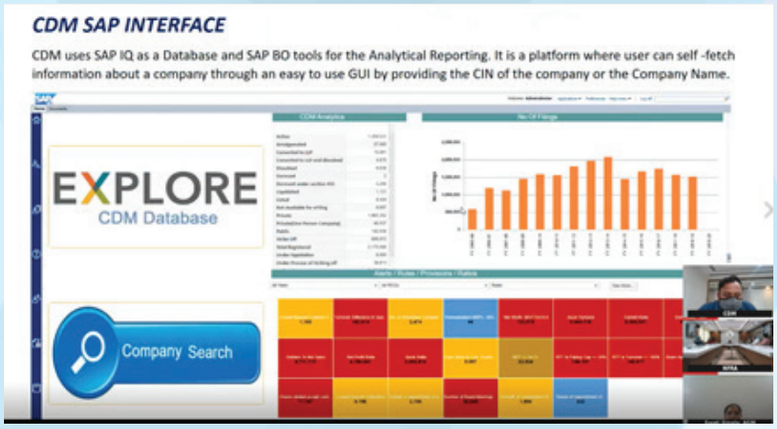

चित्र - 10 : 30.06.2021 को संचालित सीडीएम प्रशिक्षण

5.2.3.2.4 **एनसीएएस प्रशिक्षण :** एनसीएएस से परिचय कराने और इसकी संभाव्यता के पूर्ण उपयोग के लिए इसके ढांचे और उपयोग के बारे में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

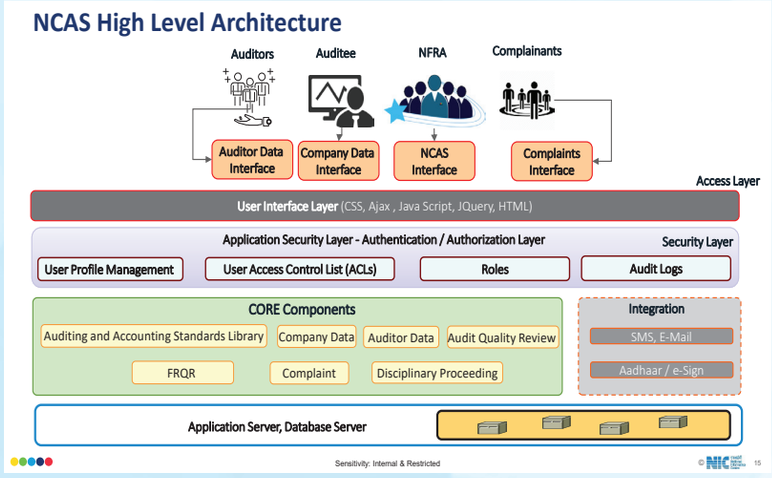

चित्र - 11 : एनसीएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.2.4 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन कर्मचारियों की वृद्धि और विकास तथा प्रत्येक व्यक्ति की विविध आवश्यकताओं की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण अवयव है।

एनएफआरए में कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

5.2.4.1 प्रशिक्षण और नियुक्ति संबंधी कार्य: क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं और जिम्मेदारी/असाइनमेंट के विशेष क्षेत्रों के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने की दृष्टि से अधिकारी की पेशेवर क्षमताओं का आकलन करना।

5.2.4.2 प्रतिपुष्टि और परामर्श संबंधी कार्य: कार्यनिष्पादन, पेशेवर क्षमताओं और साथियों, कनिष्ठ कर्मियों आदि के साथ आचरण में सुधार के लिए निर्देशों पर अधिकारी को परामर्श देना।

5.2.4.3 कार्य निष्पादन की आयोजना: वर्ष के लिए एक कार्य योजना विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करना।

5.2.4.4 पदोन्नति संबंधी कार्य: अधिकारी के वर्तमान असाइनमेंट में कार्यनिष्पादन का विषयपरक मूल्यांकन करना, जिसमें उसके साथियों के सापेक्ष, निगरानी योग्य इनपुट के आधार पर, प्रशिक्षण में प्रदर्शन, अध्ययन पाठ्यक्रम और सरकार के बाहर प्रतिनियुक्ति भी शामिल है, जिसका उद्देश्य उच्च जिम्मेदारियों और विशेष कार्यों के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करना है।

5.2.4.5 मान्यता संबंधी कार्य: उचित मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से नवाचारों सहित, वास्तव में किए गए असाधारण कार्य की पहचान करना।

5.2.4.6 शासन संबंधी कृत्यों को सुदृढ़ करना: मानकों में सुधार लाने की दृष्टि से संगठन में प्रणालीगत कमियों की पहचान करने में अधिकारियों को शासन सक्षम बनाना।

इस प्रकार, प्रदर्शन मूल्यांकन के महत्व को पहचानते हुए, एनएफआरए ने अपने कर्मचारियों का उद्यमी तरीके से मूल्यांकन करने के लिए एपीएआर (वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट) प्रणाली को अपनाया।

5.2.5 लैंगिक समानता

लैंगिक समानता हासिल करने के लिए, एनएफआरए सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करता है और एक लिंग-संवेदनशील कार्य वातावरण बनाने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है:

- कार्यक्रम और परियोजना क्रियाकलापों को तैयार करते समय, एनएफआरए उपयुक्त प्रतिभागियों को लक्षित करता है और दीर्घकालिक रणनीतिक लैंगिक हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ लिंग भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है।
- भर्तियों, तबादलों, मुआवज़े और पदोन्नति से संबंधित सभी रोज़गार संबंधी निर्णय लैंगिक भेदभाव किए बिना के लिए जाते हैं।
- एनएफआरए की हितलाभ नीति कार्य और परिवार को संतुलित करने की आवश्यकता के लिए न्यायसंगत और अनुकूल है।
- एनएफआरए एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम करता है जहां भेदभावरहित कार्य संबंध स्थापित हों तथा कार्य और प्रबंधन शैलियों में विविधता के लिए सम्मान को प्रोत्साहित किया जाता हो।
- एनएफआरए ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिला कार्यबल को सम्मानित करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए:
  - कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर 09.12.2021 को एनएफआरए में एक-दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम।

चित्र - 12 : 09.12.2021 को पीओएसएच अधिनियम, 2013 के बारे में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम

चित्र - 13 : 08.03.2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

5.2.6 एनएफआरए द्वारा संचालित अन्य मानव संसाधन क्रियाकलाप :

5.2.6.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन: सत्यनिष्ठा किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। जैसा कि हमारे अधिदेश में उल्लेख किया गया है, यह एनएफआरए के लिए एक प्रमुख मूल्य है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के अवसर पर, सभी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार से लड़ने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण भाग बनने का प्रतिज्ञान किया।

चित्र - 14 : 26.10.2021 को सतर्कता जागरुकता सप्ताह - 2021

5.2.6.2 **स्वच्छता पखवाडे का आयोजन**: 'स्वच्छ भारत अभियान' एक विशाल जन आंदोलन है जिसका आशय स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। एनएफआरए के कर्मचारियों ने स्वच्छता के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे, अर्थात प्रति सप्ताह दो घंटे समर्पित करने के लिए स्वच्छता शपथ ली।

चित्र - 15 : 18.08.2021 को एनएफआरए के कर्मचारी स्वच्छता शपथ लेते हुए

5.2.6.3 **संविधान दिवस शपथ-ग्रहण समारोह**: हमारे देश में 'संविधान दिवस' प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसी भावना के साथ, एनएफआरए के कर्मचारियों ने भारत के संविधान को परिरक्षित और संरक्षित करने की शपथ ली।

चित्र - 16 : 26.11.2021 को शपथ लेते हुए एनएफआरए के कर्मचारी और अधिकारी

5.2.6.4 एनएफआरए टीकाकरण अभियान: एनएफआरए ने अपने कर्मचारियों के लिए 13.09.2021 को कोविड-19 वायरस के विरुद्ध टीकाकरण अभियान का आयोजन किया।

चित्र - 17 : 13.09.2021 को एनएफआरए द्वारा आयोजित टीकाकरण अभियान